दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा भूमि का विकास

*183. **श्री कपिल वर्मा :**
श्री जो० स्वामी नायक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 6 जून, 1988 को घोषणा की थी, कि सहकारी समितियों को 425 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आबंटित की जायेगी, परन्तु बाद में इस दर को बढ़ाकर 925 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप संबंधित सहकारी आवास समितियों पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और ऐसी सोसाइटियों तथा उनके सदस्यों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार भूमि के विकास से संबंधित कार्य को इन संबंधित सोसाइटियों को सौंपने का विचार रखती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) जून, 1988 में सहकारी समितियों को भूमि के आबंटन की दरें 400 रुपये से 450 रुपये प्रति वर्गमीटर तक भिन्न-भिन्न हैं । पश्चिम और उत्तर दिल्ली के लिए वैध दर 425 रुपये प्रति मीटर थी जबकि पूर्वी दिल्ली और रोहिणी के लिए यह 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी और दक्षिणी दिल्ली/पप्पनकलां के लिए यह 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी । ये दरें 1-4-89 से संशोधित की गई थी । संशोधित दरें इस प्रकार हैं :— पूर्वी दिल्ली और रोहिणी के लिए 925 रुपये प्रति वर्ग मीटर, पश्चिम और उत्तर दिल्ली के लिए 950 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा दक्षिणी दिल्ली/पप्पनकलां के लिए 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर हैं । भूमि अधिग्रहण और विकास की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए संशोधन करना आवश्यक था ।

2. प्रीमियम की दर में वृद्धि के कारण सहकारी समितियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त प्रीमियम सामुहिक आवास समितियों के लिए 52.5 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर होगा । व्यक्तिगत सदस्य के मामले में 140 रिहायशी एकक प्रति हैक्टेयर की दर से अतिरिक्त व्यय 37,500 रुपये प्रति रिहायशी एकक आयेगा । द्वारका चरण—I, II और नरेला में लगभग 400 सामुहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित किए जाने की आशा है । समितियों के सदस्यों की संख्या लगभग 52000 हो सकती है ।

3. सहकारी सामुहिक आवास समितियों द्वारा उन्हें आबंटित प्लाटों का केवल आन्तरिक विकास किया जाना अपेक्षित है । बाह्य विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और मुख्य से एजेंसियां दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जैसे अन्य अभिकरणों द्वारा मुहैया की जानी है ।

Proposal to set up a Railway Coach Factory in Ranchi

*184. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a railway coach factory in Ranchi; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) The need for setting up an additional Rail Coach Factory is still being assessed taking into account the projected requirements of the Railways for the coaches, the allocation of the funds required for the rolling stock procurement and the existing facilities available for coach production in Rail Sector and Public Sector Undertaking. As yet, no decision has been taken with regard to the need for the plant, its size or location.

(b) Does not arise.